<u>न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ जिला चूरू</u>

<u>पीठासीन अधिकारी</u> :– **–: <u>रामपाल</u> ,आर.जे.एस.**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>निगरानी फौजदारी</u> **<u>सं. 02/2018</u>**

राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व. माणकचंद जाति सोनी पेशा वकालत निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू

–निगरानीकार/परिवादी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, सुजानगढ़ जिला चूरू
2. श्रीमती अनीता सोनी
3. इन्द्रचंद पुत्र शंकरलाल सोनी,
4. पूसराज पुत्र मोहनलाल सोनी,
5. श्रीमती संपत पत्नी पूसराज सोनी,
6. किरणदेवी पत्नी घीसूलाल सोनी,
7. श्यामसुंदर,
8. संतोष पत्नी श्यामलाल,
9. रिखबचंद पुत्र सोहनलाल,
10. शारदा पत्नी रिखबचंद,
11. कमलकुमार पुत्र रिखबचंद,
12. कल्पना पत्नी कुमलकुमार,
13. दीपक पुत्र रिखबचंद
14. बेबी पत्नी दीपककुमार
15. चंद्रप्रकाश पुत्र मोहनलाल
16. चंद्रप्रकाश की पत्नी
17. मदनलाल पुत्र नामालूम
18. मदनलाल की पत्नी
19. इन्द्रचंद की पुत्री,
20. इन्द्रचंद का बड़ा पुत्र,
21. इन्द्रचंद का छोटा पुत्र
22. शंकरलाल की पत्नी
23. चंपालाल पुत्र नामालूम
24. चंपालाल की पत्नी
25. कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल
26. कन्हैयालाल की पत्नी
27. पुरूषोतम पुत्र शंकरलाल
28. पुरूषोतम की पत्नी
29. भंवरी पत्नी हरनारायण सोनी
30. रामनारायण पुत्र नामालूम
31. घीसूलाल पुत्र नामालूम

–गैरनिगरानीकार

फौजदारी निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 02.11.17 जिसके द्वारा विद्वान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री श्यामकुमार व्यास, आर.जे.एस. द्वारा अंतिम प्रतिवेदन दायरा सं. 20/08 राजेन्द्रप्रसाद बनाम श्रीमती <u>अनीता आदि को स्वीकार किया गया है।</u>

<u>उपस्थिति</u> :–1. श्री राजेन्द्र सोनी, अधिवक्ता निगरानीकर्ता/परिवादी अनुपस्थित,

2. अपर लोक अभियोजक अनुपस्थित,
गैरनिगरानीदारान की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

:– <u>आदेश</u> –: <u>दिनांक : 27.02.2019</u>

निगरानीकार/परिवादी राजेन्द्रप्रसाद की ओर से हस्तगत निगरानी विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़ के उस आदेश दिनांक 02.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त उनवानी मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को मंजूर किया गया है तथा निगरानीकार/परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन को नामंजूर किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2007 को एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादी का विवाह अप्रार्थी सं. 1 अनीता के साथ वर्ष 1987 में हुआ, दोनों के मध्य वैवाहिक संबंधों में कटुता आनेसे 10–11 वर्ष पूर्व अप्रार्थी सं.1 अनीता ने परिवादी को परित्यक्त कर दिया और कई तरह के मेट्रीमोनियम मुकदमे परिवादी के विरूद्ध कर दिये। दिनांक 16.12.07 को परिवादी को अपनी दुकान परा इन्द्रचंद नामक व्यक्ति से पता चला कि अप्रार्थी सं. 1 अनीता ने अप्रार्थी सं. 2 इन्द्रचंद के साथ अप्रार्थी सं. 15 चंद्रप्रकाश के मकान में विवाह कर रही है जिस पर वह इन्द्रचंद को साथ लेकर अप्रार्थी सं. 15 चंद्रप्रकाश के घर पर गया जहां उसने अप्रार्थी सं. 1 अनीता का अप्रार्थी सं. 2 इन्द्रचंद के साथ विवाह होते हुए देखा जिस पर परिवादी ने अपने कैमरे से विवाह के फोटोग्राफ्स ले लिये जिसे अप्रार्थीगण ने देखकर एक राय होकर उस पर हमला कर दिया, कैमरा छीन लिया व लात–मुक्कों से मारपीट की, इत्यादि।

उक्त परिवाद धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना सुजानगढ़ भेजा गया जहां अभियोग दर्ज कर बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक पेश किया गया जिससे व्यथित होकर परिवादी ने नाराजगी याचिका पेश की।

बहस निगरानी सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय को यह देखना है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश दिनांक 02.11.17 को पारित किये जाने में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है, अथवा नहीं ?

आलोच्य आदेश के अवलोकन से परिवादी द्वारा दिनांक 25.06.14 को लिखित बहस पेश करने व 12.09.14 से बहस प्रसंज्ञान में पत्रावली लंबित होने किन्तु परिवादी के अनुपस्थित रहने व आदेश दिनांक को भी अनुपस्थित रहने व प्रकरण 9 वर्ष पुराना होना आलोच्य आदेश में अंकित किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा मामले में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व जिन गवाहान के धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान लिये गये, उन सभी गवाहान ने परिवादी के कथनों की कोई पुष्टि नहीं की तथा प्रकरण में दो बाद अनुसंधान

के बावजूद अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक पेश किया गया। मामले में परिवादी के शरीर पर चोटें आने के संबंध में कोई भी चोट प्रतिवेदन भी मौजूद नहीं है। परिवादी एवं गैरनिगरानीकार अनीता के मध्य तलाक न्यायालय से विधिवत् रूप से 23.08.2008 को ही माननीय जिला न्यायालय बीकानेर से हो चुका है। निगरानीकर्ता के कथनों से अनीता द्वारा इन्द्रचंद के साथ 16.12.2007 को दूसरा विवाह करने के तथ्य की भी पुष्टि नहीं होती है। परिवादी ने अपने साथ 30–35 व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना व कैमरा छीन लेने का कथन किया है, इसके बावजूद उसके शरीर पर जाहिरा में कोई चोट आने के संबंध में कोई चोट प्रतिवेदन मौजूद नहीं है एवं न ही उसका मेडिकल मुआयना होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक को स्वीकार करने में एवं निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा प्रस्तुत नाराजगी याचिका को अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता।

ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन पायी जाने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाने योग्य है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः निगरानीकर्ता/परिवादी राजेन्द्रप्रसाद की ओर से प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रकरण सं. 20/2008 उनवानी राजेन्द्रप्रसाद बनाम श्रीमती अनीता आदि के मामले में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.17 को पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे।

(रामपाल)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सुजानगढ, जिला चूरू

आदेश आज दिनांक **27.02.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित किया गया।

(रामपाल)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सुजानगढ, जिला चूरू